नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदे□ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारि ों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में सं ोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदे ा सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदे ाक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदे ा को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहेः–

(i) प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री महे ा गौतम	01.04.16 से 23.07.17 तक
2	श्री मनोज वर्मा	24.07.17 से 31.03.18 तक

(ii) कार्यकारी अधिकारी

1	श्री सुधीर कुमार भार्मा	01.04.16 से 14.02.18 तक
2	श्री प्र ाांत देष्टा, हि0प्र0 से उप मण्डलाधिकारी (ना0) नालागढ़ (अतिरिक्त कार्यभार)	15.02.18 से 31.03.18 तक

(ग) नगर परिषद नालागढ़ के लेखों अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	रा□ि ा (`) लाखों में
1	बैंक सावधि निवे ा की परिपक्वता पर ब्याज की कम प्राप्ति	5 (ग)	0.47

2	अनुदानों की राि ा उपयोग हेतु भोष	6 (ख)	660.21
3	वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त अनुदानों का दो वर्ष उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	6 (ग)	166.70
4	दुकानों व प्लाटों की किराये की बकाया राि ा वसूली हेतु भोष	10	110.79
5	मोबाईल टावरों का नवीनीकरण भाुल्क वसूली हेतु भोष	11	1.30
6	कर्मचारियों को वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	15 (क) से (छ)	2.05
7	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	16	6.10
8	बिना प्रतिभूति के संविदाकारों को अग्रिम (Unsecured advances) जारी करके परिषद निधि की Cost पर अनुचित लाभ पहुँचाना	17	107.91
9	निक्षेप कार्य (Deposit Work) हेतु जमा राि ा के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त न करना	19	576.42
10	एल0ई0डी0 लाईटों की खरीद में पाई गई गम्भीर अनियमितताएँ	20	38.23
11	G.I. पाईपों की खरीद व खपत में पाई गई अनियमितताएं	21	2.19
12	विज्ञापन और दृ य प्रचार निदे ाालय द्वारा पॉलिसी में प्रावधित 15 प्रति ात की छूट का लाभ न किए जाने के कारण टैंडर व अन्य प्रका ानों के विज्ञापन पर राजस्व हानि	26	0.33
13	क्रय की गई वस्तुओं की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि / गणना न करना	28	3.46

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के भोष अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "I"** पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के भोष अनिर्णीत पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा लम्बित अंकेक्षण पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करने के उपरान्त कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक का अंकेक्षण श्री हरदेव भाांडिल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा अवधि 16.02.2019 से 29.3.2019 तक के दौरान निष्पादित किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2017 व 07/2017 तथा व्यय के लिए माह 09/2016 व 08/2017 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के दौरान आगामी पैरों में दर्शाये गये अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है तथा किसी भी प्रकार की अधूरी प्रदान न की गई व छुपाई गई सूचना के कारण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण भुल्क

नगर परिषद नालागढ़ के लेखाओं अवधि 01.04.2016 से 31.03.18 तक के अंकेक्षण का भुल्क `74000 आंका गया। सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 155 दिनाँक 29.03.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ को अंकेक्षण भुल्क की राि ा को निदे ाक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदे ा, ि ामला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/38 दिनांक 22.2.2019 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा **परि◻ाष्ट "2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद की अवधि 1.4.16 से 31.3.18 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः–'

वित्तीय वर्ष	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक भोष (`)	आय/प्राप्तियाँ (`)	ब्याज (`)	कुल योग (`)	व्यय (`)	अन्तिम भोष (`)
2016–17	स्वः स्त्रोत	39782475	36480838	1883325	78146638	60075487	18071151
	अनुदान	20802787	95512035	0	116314822	26092528	90222294
	कुल	**60585262**	**131992873**	**1883325**	**194461460**	**86168015**	**108293445**
2017–18	स्वः स्त्रोत	18071151	26854557	2027829	46953537	34811965	12141572
	अनुदान	90222294	60457501	0	150679795	84659105	66020690
	कुल	**108293445**	**87312058**	**2027829**	**197633332**	**119471070**	**78162262**

दिनांक 31.3.18 को हस्तगत रोकड़ भोष तथा सावधि निवे ा व बैंक खातों में जमा राि ा का विवरण

परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2018 को **परि◻ाष्ट (7)** के अनुसार सावधि जमा में किया गया निवे ा	19000327
बैंक बचत खातों में दिनांक 31.03.2018 को जमा राि ा का	

विवरणः—

आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 372701000025	3602356	
अलाहाबाद बैंक खाता संख्या 17249	14464171	
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 50865	5652428	
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 6629	21127754	
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 52235	17304	
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या	5475	
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 524563	30932	
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 522533	294497	
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 184453	125211	
पंजाब ने ानल बैंक खाता संख्या 130467	198512	
पंजाब नै ानल बैंक खाता संख्या 83137	3120	
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 8288	284414	
यूको बैंक खाता संख्या 6450	96571	
जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक खाता संख्या 11432	1975846	
एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाता संख्या 35770	5423500	
एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाता संख्या 45294	3887536	
बचत खातों के भोष का दिनांक 31.03.2018 को कुल योग		57189627
दिनांक 31.03.2018 का हस्तगत भोष		283641
दिनांक 31.03.2018 का निवे ा, बचत खातों तथा हस्तगत राि ा का भोष		76473595

(क) बैंक समाधान विवरणी **(परिि ाष्ट "4")**

वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को अन्त ोष (पैरा 4)		78162262
(—) घटावः— अवधि 4/2007 से 3/2010 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 में वर्णित बैंक समाधान विवरणी के अनुसार वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों के भोष में द ाया गया अन्तर जिसका अभी तक समाधान नहीं किया गया है		329906
उपरोक्त समायोजन प चात सं ोधित भोष जोकि रोकड़ बही में		77832356

पृष्ठ 161 पर दिनांक 31.03.2018 को द ाया गया है

(–) घटावः– बैंक खाते में जमा करवाये गये आय के वह चैक जोकि निम्नानुसार दिनांक 31.03.2018 तक बैंक खाते में जमा नहीं हुये थे

क्र0 सं0	बैंक	चैक सं0	दिनांक	जिससे प्राप्त किया गया	रा ि (`)
1	अलाहाबाद बैंक	234929	10.01.18	दीप सिंह से प्राप्त तहबाजारी की रा ि	523133
2	अलाहाबाद बैंक	234923	10.08.17	दीप सिंह से प्राप्त तहबाजारी की रा ि	509833
3	अलाहाबाद बैंक	234925	11.12.17	दीप सिंह से प्राप्त तहबाजारी की रा ि	523133
					1556099

(–) 1556099

उपरोक्त घटाव के प चात सं ोधित भोष 76276257

(+) जमाः– परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार जारी चैक जोकि 31.03.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये 197338

क्र0 सं0	**बैंक**	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**रा ि (`)**
1	अलाहाबाद बैंक	40528	12.6.17	670
2	अलाहाबाद बैंक	40290	25.5.17	3190
3	अलाहाबाद बैंक	40293	5.3.17	3560
4	अलाहाबाद बैंक	64406	9.6.17	6315
5	अलाहाबाद बैंक	70147	10.3.17	1000
6	अलाहाबाद बैंक	78052	23.1.18	6694
7	अलाहाबाद बैंक	78077	12.2.18	21942
8	अलाहाबाद बैंक	77920	1.3.18	500
9	अलाहाबाद बैंक	77940	20.3.18	5733
10	अलाहाबाद बैंक	77943	20.3.18	10251
11	अलाहाबाद बैंक	77950	23.3.18	15904

12	अलाहाबाद बैंक	77953	23.3.18	12000
13	अलाहाबाद बैंक	77954	23.3.18	12000
14	अलाहाबाद बैंक	77959	27.3.18	3923
15	अलाहाबाद बैंक	77960	27.3.18	31200
16	अलाहाबाद बैंक	77961	27.3.18	62456
				197338

उपरोक्त जमा के प चात समायोजित भोष 76473595

दिनांक 31.03.18 का निवे ा, बचत खातों तथा हस्तगत रा ा

का भोष (उपरोक्त विवरणानुसार) 76473595

अन्तर (क–ख) भून्य

(ख) रोकड़ बही में लेखांकित आय के बैंक में जमा निम्न वर्णित चैक जो 31.03.2018 तक बैंक खाते में जमा नहीं हुये थे **(परि िाष्ट–5)**

क्र0 सं0	**बैंक**	**चैक सं0**	**दिनांक**	**जिससे प्राप्त किया गया**	**रा ा (`)**
1	अलाहाबाद बैंक	234929	10.01.18	दीप सिंह से प्राप्त तहबाजारी की रा ा	523133
2	अलाहाबाद बैंक	234923	10.08.17	दीप सिंह से प्राप्त तहबाजारी की रा ा	509833
3	अलाहाबाद बैंक	234925	11.12.17	दीप सिंह से प्राप्त तहबाजारी की रा ा	523133
					1556099

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त चैकों के बाउंस होने के कारण इस आय की सम्बन्धित से वसूली नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019–64 दिनांक 27.3.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्त तक प्राप्त नहीं हुआ। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया है कि श्री दीप सिंह की अब मृत्यु हो चुकी है तथा परिषद द्वारा वारिसों से वसूली हेतु जिला समाहर्ता बिलासपुर के पास दर्ज मुकद्दमे के सन्दर्भ में यथोचित वसूली आदे ा पारित करवा लिया गया है। अतः अब प्राथमिकता के आधार पर इस रा ा की वसूली सुनि चत करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) भुगतान हेतु जारी ₹0.15 लाख के कालातीत चैकों का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान हेतु जारी ₹14735 के चैक नियमानुसार कालातीत हो चुके है जिसके सन्दर्भ में सम्बन्धित बैंक से भुगतान की पुष्टि करने के उपरान्त कालातीत चैकों की यथानुसार रोकड़ बही के आय पक्ष में गणना करके समाधान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्र0सं0	**बैंक**	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**जिसे जारी किया गया**	**राशि (₹)**
1	अलाहाबाद बैंक	40528	12.6.17	चौहान ड्राईक्लीनर्ज	670
2	अलाहाबाद बैंक	40290	25.5.17	करनैल सिंह	3190
3	अलाहाबाद बैंक	40293	5.3.17	न्यू मालवा सेल्ज	3560
4	अलाहाबाद बैंक	64406	9.6.17	पंजाब इन्टरप्राईजिज	6315
5	अलाहाबाद बैंक	70147	10.3.17	पशु चिकित्सक	1000
				कुल योग	**14735**

5 निवेश

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019–38 दिनांक 22.02.2019 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा **परिशिष्ट "7"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.18 को निम्न विवरणानुसार ₹19000327 सावधि जमा में निवेशित थीः–

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता सं0**	**निवेशित राशि (₹)**	**निवेश की तिथि**	**ब्याज दर**	**परिपक्वता तिथि**	**परिपक्वता राशि (₹)**
1	भारतीय स्टेट बैंक	726	471606	10.11.17	6.25%	9.2.19	495717
2	भारतीय स्टेट बैंक	570016	2899127	13.04.16	7.00%	13.4.17	3120588
3	भारतीय स्टेट बैंक	568097	9689828	30.07.17	6.25%	30.7.18	10312754
4	भारतीय स्टेट बैंक	78594	1918481	30.07.17	6.25%	30.7.18	2036250
5	जो0के0सह0 बैंक	1620	1912354	28.03.18	6.50%	28.3.19	2039720
6	पंजाब नैशनल बैंक	6222	354937	5.6.17	6.90%	5.6.18	380069

7	पंजाब नै ानल बैंक	6213	153368	5.6.17	6.90%	5.6.18	164227
8	पंजाब नै ानल बैंक (ब्याज रा ि ा बचत खाते में जमा की जाती है)	104	1006287	13.8.17	6.65%	13.2.19	1006287
9	पंजाब नै ानल बैंक (ब्याज रा ि ा बचत खाते में जमा की जाती है)	140	594339	28.6.17	6.90%	28.6.18	594339
	कुल निवे ा		**19000327**				

अतः सावधि जमा को परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवे ा करना सुनि चत किया जाए।

(क) सावधि निवे ा की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही में न करना

सावधि निवे ा रा ि ायों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि **परि ि ाष्ट–7** में ` क्रमांक 2 पर वर्णित निवे ा रा ि ा की 13.04.17 को परिपक्वता पर अर्जित `221461 के ब्याज की दिनांक 31.03.18 तक रोकड़ बही में गणना नहीं की गई थी और न ही इस रा ि ा के पुनर्निवे ा की पुष्टि बैंक से करवाई गई थी परिणामतः रोकड़ बही में वर्णित सावधि जमा की दिनांक 13.04.16 की मूल `2899127 को ही द ाया जा रहा था जोकि अनियमित है क्योंकि इसके कारण परिषद द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति सम्पूर्ण व उचित स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही सुनि चत करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की चूक को न दोहराया जाना सुनि चत किया जाए।

(ख) निवे ा रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा निवे ा रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस अनियमितता को परिषद के ध्यान में लाया गया था परन्तु अपेक्षित कार्यवाही करने के स्थान पर परिषद द्वारा रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में केवल निवे ा विवरणी बनाई गई थी तथा निवे ा रजिस्टर तैयार व अद्यतन (Update) नहीं किया गया था जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि इसके अभाव में

निवे ात रा ा की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज व प्राप्त परिपक्वता रा ा का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः पुनः पराम र्ा दिया जाता है कि भविष्य हेतु निवे ा रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन (Updation) प्राथमिकता के आधार पर करना सुनि चत किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) कु□ाल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव के कारण बैंक सावधि निवे□ा से `0.47 लाख के ब्याज की कम प्राप्ति

अंकेक्षण के दौरान परिषद द्वारा निवे ात रा ायों तथा उन पर प्रापत ब्याज के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिपक्व हुई बैंक सावधि जमा निवे ा रा ायों पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा परिषद को निम्नविवरणानुसार **परि□ाष्ट "8"** पर वर्णित `46554 का कम ब्याज दिया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा परिषद के कु ाल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/43 दिनांक 1.3.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब वर्णित प्रकरण की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंकों से उठाकर कम प्राप्त ब्याज रा ा की वसूली सुनि चत करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना तथा भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनि चत किया जाए। कम प्राप्त ब्याज का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बैंक	खाता सं0	परिपक्वता दिनांक	जमा रसीद पर दर्ज परिपक्वता रा□ा (`)	परिपक्वता पर प्राप्त वास्तविक रा□ा (`)	कम प्राप्त रा□ा (`)
1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मानपुरा	65230137075	13.4.16	2944116	2899127	44989
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नालागढ़	55123513754	12.5.17	454783	453218	1565
					कुल कम प्राप्त ब्याज	**46554**

(घ) सावधि निवे□ा से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानि

गत अनुच्छेद 4 में प्रस्तुत विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.3.2018 को `57189627 की एक बड़ी राि ा बचत खातों में भोष जमा जिसे यदि परिषद की सामयिक आव यकता के दृष्टिगत अतिरिक्त उपलब्ध राि ा को कु ाल वित्तीय प्रबन्धन से एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि के लिए बैंक सावधि योजनाओं में निवे ा किया जाता तो इस राि ा पर निि चत रूप से अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था, परन्तु परिषद द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध राि ा को 16 बैंक बचत खातों में जमा रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि कु ाल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। अतः पराम र्ा दिया जाता है कि भविष्य में परिषद की सामयिक आव यकताओं हेतु समुचित राि ा को बचत खाते में छोडकर भोष उपलब्ध राि ा को कु ाल वित्तीय प्रबन्धन करते हुए एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि के लिए बैंक सावधि योजनाओं में निवेि ात करना सुनिि चत किया जाए ताकि परिषद को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं0वं0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/42 दिनांक 27.2.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ।

6 अनुदान

(क) वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/38 दिनांक 22.2.19 के सन्दर्भ में यथा **परि□ाष्ट "9"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में परिषद को प्रापत अनुदानों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक भोष (`)	प्राप्तियाँ (`)	कुल योग (`)	व्यय (`)	अन्त□ोष (`)
2016–17	20802787	95512035	116314822	26092528	90222294
2017–18	90222294	60457501	150679795	84659105	66020690

(ख) अनुदानों की रा□ा `660.21 लाख उपयोग हेतु भोष

उक्त उप पैरा (क) में संकलित तालिका के अवलोकन से स्पष्ट विहित होता है कि वर्ष 2016—17 में `90222294 तथा वर्ष 2017—18 में `66020690 की रािा परिषद के पास प्राप्त अनुदानों में से बिना उपयोग किए भोष जमा पड़ी है तथा प्रतिवर्ष इतना अधिक अन्त ोष यह परिलक्षित करता है कि परिषद इन अनुदानों का भात प्रति ात उपयोग करने में विफल रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि जहाँ अनुदान निधि का अनाव यक अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी जनता को प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ा है। अतः भविष्य हेतु यह पराम र्ा दिया जाता है कि परिषद भोष अनुपयोग अनुदानों को निर्धारित उद्दे यों हेतु उपयोग करना सुनि चत करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) वर्ष 2016—17 के दौरान प्राप्त `16670073 की अनुदान रािायों का दो वर्ष उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता

परििष्ट 10 (ख) में संकलित विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016—17 के दौरान विभिन्न परियोजनों हेतु प्राप्त कुल `95512035 की अनुदान राि ायों मे से `16670073 दिनांक 31.03.2018 तक भी व्यय/उपयोग नहीं की गई थी तथा इसमें मुख्य रूप से `16156833 यूआईडीएसएमटी परियोजना में सीवरेज हेतु प्राप्त अनुदान सम्मिलित है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित राि ा को तुरन्त निर्धारित उद्दे यों हेतु उपयोग करने बारे प्रभावी कदम उठाया जाना सुनि चत किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 भविष्य निधि

(क) वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/38 दिनांक 22.2.2019 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा **परििष्ट 11** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद नालागढ़ के भविष्य निधि खाते की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक भोष (`)**	**वर्ष के दौरान जमा अंादान**	**ब्याज की प्राप्ति (`)**	**कुल योग (`)**	**वर्ष के दौरान किए गए**	**अन्तोष (`)**

		()			भुगतान (`)	
2016–2017	6818076	1709629	607508	9135213	1327405	7807808
2017–2018	7807808	2277981	891829	10977618	1784155	9193463

दिनांक 31.3.18 को बैंक में जमा अन्त ोष

जोगिन्द्रा केन्द्रीय सह0 बैंक खाता संख्या 101334001005612 9193463

अन्तर भून्य

(ख) भविष्य निधि से सावधि जमा में निवे ा न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/38 दिनांक 22.02.19 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा भविष्य निधि से किसी प्रकार का सावधि जमा में निवे ा नहीं किया गया था तथा दिनांक 31.03.18 को उपलब्ध `9193463 समस्त जोगिन्द्रा केन्द्रीय सह0 बैंक के बचत खाता संख्या 101334001005612 में ही भोष जमा थी जिसे यदि सामयिक आव यकता की रा ि के अतिरिक्त उपलब्ध रा ि को कु ाल वित्तीय प्रबन्धन करके एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवे ा किया जाता तो इस रा ि पर नि चत रूप से अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था, परन्तु परिषद द्वारा वर्णित रा ि को केवल बैंक बचत खाते में जमा रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है। अतः पराम र्ा दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आव यकताओं हेतु समुचित रा ि को बचत खाते में छोड़कर भोष उपलब्ध रा ि को कु ाल वित्तीय प्रबन्ध करते हुए एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवे ित करना सुनि चत किया जाए ताकि सम्बन्धित निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

8 कर्मचारी अं ादायी पैन् ान निधि वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019–38 दिनांक 22.02.2019 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा **परि ि ष्ट –12** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद नालागढ़ के कर्मचारी अं ादायी पैन् ान निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक भोष (`)	वर्ष के दौरान जमा अं ादान	ब्याज की प्राप्ति (`)	कुल योग	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	अन्त ोष (`)

		(`)		(`)	(`)	
2016—17	0	121614	0	121614	0	121614
2017—18	121614	417846	14146	553606	0	553606

दिनांक 31.3.18 को बैंक में जमा राशि का विवरण

जोगिन्द्रा केन्द्रीय सह0 बैंक खाता संख्या 101334029100031	553606
अन्तर	भून्य

9 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/38 दिनांक 22.02.2019 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिारी यथा **परिशिष्ट 13** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद नालागढ़ के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक भोष (`)**	**वर्ष के दौरान जमा अंशदान (`)**	**ब्याज की प्राप्ति (`)**	**कुल योग (`)**	**वर्ष के दौरान किए गए भुगतान (`)**	**अन्तशेष (`)**
2016—17	2484900	1994136	191378	4670414	3931829	738585
2017—18	738585	2934643	76405	3749633	3656391	93242

पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि के निवेश विवरणीः—

जोगिन्द्रा केन्द्रीय सह0 बैंक खाता संख्या 101334001009914	93242
अन्तर	भून्य

10 दुकानों व प्लाटों के किराये की बकाया `110.79 लाख वसूली हेतु भोष

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/40 दिनांक 22.02.2019 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट 15 से 17** तक उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2018 तक दुकानों व प्लाटों के किराये की निम्न विवरणानुसार बकाया `11078597 वसूली हेतु भोष थीः—

(i) परिषद कोष से निर्मित दुकानों के किराये की कुल `6844002 दिनांक 31.3.2018 को वसूली हेतु भोष थी।

(ii) आई0डी0एस0एम0टी0 कम्पलैक्स की दुकानों के किराये की कुल `3854648 दिनांक 31.03.2018 को वसूली हेतु भोष थी ।

(iii) प्लाटों के किराये की `379947 बकाया वसूली हेतु भोष थी ।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/59 दिनांक 25.3.2019 कार्यकारी अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में कार्यालय पत्र क्रमांक एम सी/नलग/2019–335 दिनांक 27.3.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानदारों को नोटिस जारी करके `100000 से अधिक बकायेदारों के केस उपमण्डलाधिकारी (ना0) नालागढ़ की अदालत में बेदखली हेतु दर्ज कर दिये गये है। अतः प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदे ा नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर बकाया किराये की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिि चत की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(क) दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के अनुबन्ध की भार्तों के अनुसार किराये में प्रति पांच वर्ष के बाद 10 प्रति ात की वृद्धि करते हुये नया अनुबन्ध किया जाना अपेक्षित है परन्तु परिषद द्वारा अनुबन्ध अनुसार बढ़ा हुआ किराया तो वसूल किया जा रहा है परन्तु कई वर्ष बीतने पर भी अनुबन्धों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याःअं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/41 दिनांक 25.2.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में पत्र क्रमांक एमसी/नलग/2019/336 दिनांक 27.3.2019 द्वारा आ वासन दिया गया है कि **परिि ाष्ट "18"** में वर्णित दुकानों के इकरारनामों का नवीनीकरण करवाकर अनुपालना रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण में दिखा दी जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिि चत की जाए।

(ख) परिषद द्वारा खाली दुकानों की नीलामी न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा **परि▯ाष्ट "19"** अनुसार 27 खाली दुकानों की नीलामी अंकेक्षणावधि के दौरान नहीं की गई थी जिस बारे कार्यकारी अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याःअं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/41 दिनांक 25.2.2019 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र क्रमांक एमसी/नलग/2019–336 दिनांक 27.3.2019 द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों की नीलामी परिषद द्वारा कई बार करवाई गई परन्तु बोलीदाता न होने के कारण दुकाने खाली ही रह गई। अतः अब प्राथमिकता के आधार पर इन दुकानों की नीलामी करवाई जाये ताकि परिषद को निरन्तर हो रही हानि से बचा जा सके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

11 मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क `1.30 लाख वसूली हेतु भोष

कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2019/–40 दिनांकः 22/02/2019 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों ने रिहाय ी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के ऊपर मोबाईल टावर स्थापित किये है तथा जिनसे दिनाक 31.3.18 को हिमाचल प्रदे ा सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्याः (डी0आई0टी0)–डी0ई0वी0 (आई0टी0) 2005 (एम0आई0एस0सी0)–96 दिनाँक 21.06.2017 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण भुल्क `1,29,750 वसूली हेतु भोष था जिसका विस्तृत विवरण **परि▯ाष्ट ''20''** में दिया गया है। अतः मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया रा‍ि ा को शीघ्र सम्बन्धित कम्पनियों से वसूल करने हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनि‍ि चत की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

12 गृहकर

(क) गृहकर अधिरोपित न किए जाने बारे

निदेशक, ाहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदे ा के पत्र संख्याः ULB-H(C)(9)2/91-II, दिनांक 20.4.1998, ULB-H(C)(9)-1, दिनांक 6.11.1999 तथा UDH(C)(10)-10/97, दिनांक 4.12.1999 द्वारा जारी दि ाा निर्दे ाों के अनुसार परिषद द्वारा अपने अधिसूचित क्षेत्र में गृहकर आरोपित नहीं किया गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–2 इस बारे

अपेक्षित कार्यवाही करने बारे सुझाव दिया गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः पुनः यह प्रकरण नगर परिषद के उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आ ाय के साथ लाया जाता है कि भविष्य में इस सन्दर्भ में नियमानुसार आव यक कार्यवाही अमल में लाकर गृहकर वसूली की जानी सुनि चत की जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) नगर परिषद परिक्षेत्र में स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करना

कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2019/–38 दिनांकः 22/02/2019 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 14.11.2014 के प्रस्ताव संख्या 396 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि "परिषद क्षेत्र में जितनी भी व्यापारिक सम्पत्ति है, जिन भवनों का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है चाहे वह निजि है अथवा किराये पर है उन सबका मूल्यांकन करके गृहकर वसूला जाये"। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदे ा नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा निदे ाक भाहरी विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी दि ाा निर्दे ाों के अनुसार परिषद सीमाक्षेत्र में कार्यरत होटलों व गैस्ट हाउसों से किराए हेतु उपलब्ध कमरों पर 90 दिन की ऑक्यूपैंसी (Occupancy) के आधार पर 12.5 प्रति ात की दर से गृहकर वसूल किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि इस सन्दर्भ में परिषद द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं लाई गई थी। संसाधनों की कमी से जूझती परिषद द्वारा प्राप्य आय के इस महत्वपूर्ण संसाधन का दोहन न किया जाना एक बहुत ही गम्भीर तथा चिंतनीय विषय है तथा परिषद की लचर कार्यप्रणाली को द ार्ाता है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा परिषद के उक्त निर्णय तथा हिमाचल प्रदे ा नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित आव यक कार्यवाही सुनि चत करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 बिजली उपकर व भाराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का अनुसंरक्षण न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं0वृ0 बिलासपुूर/एल0ए0डी0/2018/320 दिनांक 26.12.2018 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार केवल वर्ष 2016–17 में भाराब उपकर की मद में `701633 ही नगर परिषद को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त हुई थी जबकि बिजली उपकर मद के अन्तर्गत कोई भी राि ा प्राप्ति नहीं हुई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा उक्त भाुल्कों की माँग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण में यह स्पष्ट न हो सका कि निर्धारित दर से कुल कितनी राि ा प्राप्य थी, कितनी राि ा वास्तविकता में प्राप्त की गई व कितनी राि ा प्राप्त की जानी बकाया थी। अतः अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं इस सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख का अविलम्ब उचित अनुरक्षण व अद्यतन सुुनि िचत करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14 प्राप्त आय `0.04 लाख को रोकड़ में दर्ज न करने के कारण बैंक में कम जमा करना

आय की विभिन्न रसीदों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार गलत योग/गणना के कारण परिषद द्वारा प्राप्त आय `3561 की रोकड बही में गणना नहीं की गई थी परिणामतः निम्न वर्णित राि ा को परिषद कोष/बैंक में भी जमा नहीं करवाया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसे में राि ा के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा `3561 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राि ा की रोकड़ बही में गणना व तदानुसार बैंक में जमा करवाया जाना सुनि िचत किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु पराम ि दिया जाता है कि आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न होः—

तहबाजारी शुल्क

क्र0सं0	दिनांक	रसीद विवरण	रोकड़ बही	आय की	अन्तर

			में दर्ज राशि (`)	वास्तविक प्राप्त राशि (`)	(`)
1	24.05.2016	54 / 10	50	100	50
2	04.07.2016	198 से 200 / 10 व 01 से 02 / 11	3675	3849	174
3	09.11.2016	156 से 161 / 11	1710	1906	196
4	12.01.2017	20 / 12	0	179	179
5	17.04.2017	112 / 12	0	184	184
6	06.06.2017	29 / 13	50	100	50
7	06.06.2017	143 / 13	50	150	100
8	13.06.2017	184 से 186 / 13	868	1202	334
9	17.07.2017	07 / 14	0	500	500
				योग (1)	**1767**
स्लाटर हाउस शुल्क					
1	29.06.2016	139 से 143 / 1	40	60	20
2	01.07.2016	34 / 1	10	20	10
3	04.09.2016	149 / 1	0	20	20
4	26.09.2016	186 से 143 / 1	40	60	20
5	10.11.2016	60 / 2	0	10	10
6	26.11.2016	83 से 90 / 2	90	110	20
7	28.11.2016	91 से 92 / 2	20	30	10
8	29.12.2016	135 से 138 / 2	50	60	10
9	17.02.2017	20 / 3	0	10	10
10	03.04.2017	98 से 110 / 3	120	160	40
11	29.04.2017	133 से 141 / 3	110	120	10
12	05.05.2017	147 से 148 / 3	0	30	30
13	05.07.2017	42 से 43 / 4	0	30	30
14	10.07.2017	54 / 4	0	10	10
15	08.08.2017	111 से 113 / 4	30	40	10
16	19.08.2017	114 / 4	0	10	10
17	25.08.2017	125 से 126 / 4	0	30	30
18	15.09.2017	152 / 4	0	10	10
19	26.09.2017	162 से 165 / 4	20	50	**30**
20	01.11.2017	14 से 16 / 5	30	40	**10**
21	23.11.2017	49 से 50 / 5	0	30	**30**
22	07.01.2018	121 से 124 / 5	40	60	**20**
23	19.02.2018	187 से 189 / 5	0	30	**30**
24	13.03.2018 से 26.03.2018	25 से 40 / 6	140	200	**60**
				योग (2)	**490**
विविध आय– दुकानों के किराया, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क आदि से सम्बन्धित					
1	30.08.2016	35 / 80	0	10	10

2	21.02.2017	115 / 5	0	10	10
3	21.02.2017	116 / 5	0	10	10
4	02.03.2017	82 / 109	0	695	695
5	08.03.2017	37 से 56 / 115	35100	35190	90
6	24.03.2017	02 से 03 / 118	0	20	20
7	25.04.2017	72 से 73 / 118	0	20	20
8	24.05.2017	36 / 119	0	449	449
				योग (3)	**1304**
				कुल योग (1 से 3)	**3561**

15 स्थापना

(क) गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण

नगर परिषद की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक भोष (`)	व्यय (`)
2013–14	33952244	43665586
2014–15	14012136	161574081
2015–16	36869183	100988819

(ख) श्री संजीव कुमार, लिपिक को सुनिचित प्रगतिील जीविका योजना का गलत लाभ प्रदान करने के कारण `0.10 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिका की जाँच में पाया गया कि श्री संजीव कुमार, लिपिक को हिमाचल प्रदे ा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित सुनि चत प्रगति ील जीविका योजना (ए0सी0पी0एस0 4–9–14) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2018 से चार वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रथम लाभ प्रदान करते हुए (सेवा पंजिका पृष्ठ 7–8) उनका वेतन `12010+3200=15210 के स्तर से बढ़ाकर `12470+3600=16070 के स्तर पर निर्धारित किया गया था चूंकि श्री संजीव कुमार, लिपिक को इससे पूर्व दिनांक 01.08.14 से वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी0आर0–बी (7)–64 / 2010 दिनांक 27.09.2012 द्वारा अधिसूचित सं ोधित वेतनमान का लाभ (सेवा पंजिका पृष्ठ 5–6) दिया जा चुका है,

इसलिए वित्त विभाग हि0प्र0 सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 26.02.13 के आधार पर श्री संजीव कुमार, लिपिक के पक्ष में दिनांक 01.08.2018 को प्रदान सुनिि चत प्रगति ील जीविका योजना का लाभ देय नहीं बनता था। अतः इस अनियमित लाभ को दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 28.02.2019 तक श्री संजीव कुमार, लिपिक को **परिि ाष्ट "21"** पर संलग्न विवरणी के अनुसार `10495 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/54 दिनांक 18.3.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः एम0सी0/नलग/2019–338 दिनांक 27.3.2019 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान राि ा की वसूली श्री संजीव कुमार लिपिक से जी–8 संख्या 68/183 दिनांक 20.03.2019 द्वारा कर ली गई है जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया है।

(ग) श्री बलजीत सिंह, कार्य पर्यवेक्षक को दिनांक 01.10.2012 से सं ाोधित वेतनमान लाभ प्रदान करने पर किए गए वेतन निर्धारण में आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि की गलत तिथि निर्धारित किये जाने के कारण `65593 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिका की जाँच में पाया गया कि श्री बलजीत सिंह, कार्य पर्यवेक्षक को दिनांक 01.10.2012 से हिमाचल प्रदे ा सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0)–बी (7) '64/2010 दिनांक 27.9.2012 के अन्तर्गत सं ाोधित वेतनमान का लाभ दिया गया था। इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदे ा सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी0आर0)–बी (7)–64/2010 (लूज) दिनांक 24.9.2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदे ा सिविल सेवाऐं (प्रवर्ग/पदवार सं ाोधित वेतन) नियम 2012 के नियम 7 में वर्णित प्रावधान अनुसार यदि किसी कर्मचारी का वेतन इस सं ाोधन के परिणामस्वरूप पे बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जाता है तो उसे अगली वार्षिक वेतनवृद्धि एक वर्ष का अर्हक सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रदान की जाएगी परन्तु इसके प्रतिकूल परिषद द्वारा श्री बलजीत सिंह, कार्य पर्यवेक्षक का वेतन दिनांक 01.10.2012 को पे बैंड `10300–34800 के न्यूनतम `10300+3200 ग्रेड पे=कुल `13500 पर निर्धारित करने के प चात अगली वार्षिक वेतनवृद्धि नियमानुसार देय तिथि 01.10.2013 के स्थान पर तिथि

01.04.2013 निर्धारित करके स्वीकृत की गई थी जिसके कारण उन्हें अवधि 01.04.13 से 28.02.19 तक कुल `65593 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "22"** पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त श्री बलजीत सिंह, कार्य पर्यवेक्षक को दिनांक 01.10.2012 से संशोधित वेतनमान का लाभ जारी करने से पूर्व निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में अंकेक्षण अधियाचना संख्याःअं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/65 दिनांक 28.03.2019 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उनके वेतन निर्धारण को निदेशक शहरी विकास विभाग के अनुमोदन से नियमानुसार संशोधित करके वेतन व भत्तों के अधिक भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) गणना में त्रुटि के कारण श्री कुलवन्त राय, मिस्त्री को `1622 के वेतन का अधिक भुगतान

श्री कुलवन्त राय, मिस्त्री की सेवा पंजिका की जाँच में पाया गया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश संख्या 1168/17 दिनांक 03.04.2014 की अनुपालना में दिनांक 01.01.2002 से नियमित किया गया था तथा नियमितीकरण के फलस्वरूप उनका वेतन पुनः निर्धारित (सेवा पंजिका पृष्ठ 12–13) करने पर दिनांक 01.01.2016 को देय आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना करने के कारण उन्हें अवधि 01.01.2016 से 28.02.2019 तक **परिशिष्ट "23"** में वर्णित विवरणानुसार `1622 अधिक भुगतान हुआ है। उक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019–49 दिनांक 6.3.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः एम0सी0/नलग/2019–337 दिनांक 27.03.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियमित किए गए कर्मचारियों को अभी तक पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा शेष बची भुगतान राशि में से ही `1622 की वसूली समायोजित करके कर ली जायेगी। अतः

प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिि चत करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ङ) गणना में त्रुटि के कारण श्री कुलदीप चौकीदार व श्री कर्मजीत, बेलदार को `6264 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

श्री कुलदीप, चौकीदार व श्री कर्मजीत बेलदार की सेवा पंजिका की जाँच में पाया गया कि उन्हें हिमाचल प्रदे ा प्र ाासनिक ट्रिब्यूनल के आदे ा संख्या 1168/17 दिनांक 3.4.17 की अनुपालना में दिनांक 1.1.2000 से अपने पद पर नियमित किया गया था तथा नियमितिकरण के फलस्वरूप उनका वेतन पुनः निर्धारित (श्री कर्मजीत की सेवा पंजिका पृष्ठ 11–12 तथा श्री कुलदीप की सेवा पंजिका पृष्ठ 13–14) करने पर दिनांक 01.01.15 को देय आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना करने के कारण उन्हें अवधि 01.01.2015 से 28.02.2019 तक **परिििाष्ट "24"** में वर्णित विवरणानुसार `3132 प्रत्येक की दर से कुल `6024 का अधिक भुगतान हुआ है। उक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए.डी0/2019/49 दिनांक 6.3.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः एम0सी0/नलग/2019–337 दिनांक 27.03.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियमित किए गये कर्मचारियों को अभी तक पूर्ण बकाया राि ा का भुगतान नहीं किया गया है तथा भोष बची भुगतान राि ा में से ही `6264 की वसूली समायोजित करके कर ली जायेगी। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिि चत करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(च) गणना में त्रुटि के कारण श्री राजिन्द्र कुमार–IV व श्रीमती सीता, सफाई कर्मचारी को `4437 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

श्री राजिन्द्रा कुमार–IV व श्रीमती सीता, सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका की जाँच में पाया गया कि उन्हें हिमाचल प्रदे ा प्र ाासनिक ट्रिब्यूनल के आदे ा संख्याः 1168/17 दिनांक 03.04.2017 की अनुपालना में क्रम ाः दिनांक 01.01.2007 तथा दिनांक 01.01.2004 से अपने पद पर नियमित किया गया था तथा नियमितीकरण के फलस्वरूप उनका वेतन पुनः निर्धारित (श्री राजिन्द्र कुमार की सेवा पंजिका पृष्ठ 14–15 तथा श्रीमति सीता की सेवा

पंजिका पृष्ठ 9—10) करने पर क्रम ाः दिनांक 01.01.2014 व दिनांक 01.01.2007 को देय आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना करने के कारण **परिशिष्ट "25"** में वर्णित विवरणानुसार दिनांक 28.02.2019 तक श्री राजिन्द्र को `3070 तथा श्रीमति सीता को `1367 कुल `4437 का अधिक भुगतान हुआ है। उक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डब्0/2019/50 दिनांक 06.03.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः एम0सी0/नलग/2019—337 दिनांक 27.03.2019 द्वारा सूचित किया गया कि नियमित किए गए कर्मचारियों को अभी तक पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है है तथा शेष बची भुगतान राशि में से ही उक्त `4437 की वसूली समायोजित करके कर ली जायेगी। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(छ) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश से नियमित किये गये सफाई कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण `1.18 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिका की जाँच में पाया गय कि निम्न वर्णित सफाई कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश संख्या 1168/17 दिनांक 03.04.17 की अनुपालना में दिनांक 01.01.2003 से अपने पद पर नियमित किया गया था तथा नियमितीकरण के उपरान्त उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित ए0सी0पी0एस0 (4—9—14) योजना के अन्तर्गत चार वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रदत्त लाभ के फलस्वरूप दिनांक 27.8.2009 को वेतन निर्धारण करने हेतु निम्न क्रमांक 1 से 5 पर दर्शाये कर्मचारियों का आहरित मूल वेतन `6270 के स्थान पर `6280 तथा क्रमांक 6 से 8 पर दर्शाये कर्मचारियों का आहरित मूल वेतन `5870 के स्थान पर `5880 लिया गया था जिस त्रुटि के कारण **परिशिष्ट "26" से "33"** में वर्णित

विवरणानुसार दिनांक 28.02.2019 तक निम्न वर्णित कर्मचारियों को कुल `117848 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान हुआ हैः–

क्र0सं 0	सफाई कर्मी का नाम	नियमितीकरण दिनांक	सेवा पंजी पृष्ठ	गणना में त्रुटि की दिनांक	अधिक भुगतान (`)
1	श्री राम लाल	01.01.2001	13–14	27.08.2009	14872
2	श्री बेली राम	01.01.2001	13–14	27.08.2009	14872
3	श्री हुकम चन्द	01.01.2001	13–14	27.08.2009	14872
4	श्री राजिन्द्र कुमार	01.01.2001	13–14	27.08.2009	14872
5	श्री मोहम्मद सफी	01.01.2001	13–14	27.08.2009	14872
6	श्री मोहन लाल	01.01.2003	13–14	27.08.2009	14496
7	श्री अमरजीत	01.01.2003	13–14	27.08.2009	14496
8	श्रीमति रेणू बाला	01.01.2003	13–14	27.08.2009	14496
				कुल योग	**`117848**

उक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्याःअं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/51 तथा 52 दिनांक 15.03.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में द्वारा सूचित किया गया कि नियमित किए गए कर्मचारियों को अभी तक पूर्ण बकाया रा ि ा का भुगतान नहीं किया गया है तथा भोष बची भुगतान रा ि ा में से ही उक्त `117848 की वसूली समायोजित करके कर ली जायेगी। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनि ि चत करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 अस्थाई अग्रिमों की `6.10 लाख का समायोजन न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं0वृ0 बिलासपुर/एल0उ0डी0/2019–38 दिनांक 22.02.2019 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा **परिि ाष्ट "14"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद नालागढ द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को भिन्न–भिन्न कार्यों हेतु

निम्न विवरणानुसार `609823 की प्रदत्त अस्थाई अग्रिमों का समायोजन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया था:–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	अग्रिम जारी करने की अवधि	प्रदत्त अग्रिम राशि (`)
1	स्व0 हेम राज, तत्कालीन सैनिटरी सुपरवाईजर	वर्ष 1999 से 2009	92160
2	श्री बलजीत सिंह, वर्क सुपरवाईजर	वर्ष 2000 से 2016	277200
3	श्री संजय अवस्थी, तत्कालीन अनुबन्ध कनिष्ठ अभियन्ता जिनकी सेवायें अब समाप्त की जा चुकी है।	वर्ष 2000 से 2006	240463
		कुल योग	**609823**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत 20 वर्षों की अवधि में उक्त अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई प्रतीत नहीं होती है जबकि उक्त में से एक कर्मचारी श्री हेम राज की मृत्यु भी हो चुकी है और क्रमांक 3 पर दर्ज श्री संजय अवस्थी, तत्कालीन अनुबन्ध कनिष्ठ अभियन्ता की सेवायें परिषद द्वारा समाप्त की जा चुकी है। नियमानुसार यथोचित समय के भीतर इन अग्रिमों का समायोजन न किया जाना हिमाचल प्रदे ा नगरपालिका लेखा संहिता 1975 (HP Municipal Accounts Code 1975) के नियम 246 (1 से 4) के प्रावधानों की सरासर अवहेलना है । इसके अतिरिक्त अग्रिमों का समायोजन सम्बन्धित कर्मचारी की मुत्यु अथवा सेवा समाप्ति पर देय उपदान अथवा अन्य रा ायों से भी न किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियतिता तो है तथा परिषद की लचर कार्य प्रणाली को परिलक्षित करता है। अतः अग्रिम रा ायों का समायोजन न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन रा ायों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनि चत करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 संविदाकारों को बिना प्रतिभूति के `107.91 लाख के अनियमित अग्रिम (Unsecured Advances) प्रदान करके परिषद निधि की Cost पर अनुचित लाभ पहुँचाना

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया है कि परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार संविदाकारों को निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान

बिना आव यक प्रतिभूति लिये `10791036 के अग्रिम (Unsecured Advances) प्रदान किये गये थे:–

क्र0 सं0	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	वाउचर	विवरण/उद्दे य	प्राप्तकर्ता संविदाकार	रा ा (`)
1	17.08.16	17	30	निर्माण कार्य	सुजल खान	300000
2	14.10.16	34	33	निर्माण कार्य	वीरेन्द्र कुमार	493720
3	14.10.16	34	32	निर्माण कार्य	गुरमीत सिंह	467316
4	18.10.16	34	39	निर्माण कार्य	अजय कुमार	300000
5	25.10.16	35	45	निर्माण कार्य	मै0 गोबिन्द साहिब एण्टरप्राईज़	520000
6	27.10.16	36	58	निर्माण कार्य	कृष्ण लाल	110000
7	28.10.16	37	62	निर्माण कार्य	गुरमीत सिंह	300000
8	28.10.16	37	63	निर्माण कार्य	मोहित कुमार	300000
9	28.10.16	37	64	निर्माण कार्य	वीरेन्द्र कुमार	300000
10	17.11.16	42	33	निर्माण कार्य	मोईन खान	300000
11	28.01.17	60	46	निर्माण कार्य	सुजल खान	500000
12	14.02.17	65	31	निर्माण कार्य	बी. एस. बेदी	2500000
13	21.04.17	81	26	निर्माण कार्य	मोईन खान	500000
14	03.05.17	85	32	निर्माण कार्य	अजय ठाकुर	600000
15	26.05.17	90	72	निर्माण कार्य	सुजल खान	1500000
16	17.06.17	96	36	निर्माण कार्य	बी. एस. बेदी	300000
17	11.10.17	124	37	निर्माण कार्य	बी. एस. बेदी	500000
18	11.10.17	124	39	निर्माण कार्य	अजय ठाकुर	350000
19	01.11.17	129	18	निर्माण कार्य	अजय ठाकुर	300000
20	02.02.18	149	21	निर्माण कार्य	अजय ठाकुर	150000
21	16.02.18	151	51	निर्माण कार्य	सुजल खान	200000
						10791036

उपरोक्त प्रदत्त अग्रिम रा ियों के भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लेखा संहिता (Central Public Works Accounts Code) के अनुच्छेद 10.2.22 में वर्णित प्रावधानानुसारः–

“Advances to contractors are as a rule prohibited, and every endeavour should be made to maintain a system under which no payments are made except for work actually done. Exceptions are however permitted in the following cases:-

(a) Cases in which a contractor, whose contract is for finished work, requires an advance on the security of materials brought to site; and

(b) In all other cases only with the sanction of Government which may, in exceptional circumstances and in respect of certain specialized and capital intensive works costing not less than Rupees Two Crores authorize such advances not more than 10% of the tendered value as may be deemed indispensabl”.

इस प्रकार उक्त वर्णित नियमों के अन्तर्गत संविदाकार को पूर्ण निर्माण कार्य हेतु भुगतान के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है और यदि अति आवश्यक हो जाता है तो संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई निर्माण सामग्री की प्रतिभूति के विरूद्ध ही अग्रिम प्रदान किया जायेगा परन्तु इसके विपरीत उक्त नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए उपरोक्त वर्णित `10791036 के अग्रिमों का बिना कोई प्रतिभूति प्राप्त किए संविदाकारों को भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद निधि की Cost पर संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया हैः–

उक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2019/–61 दिनांकः 26/03/2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या एम. सी./नलग/2019/342 दिनांक 29.03.2019 द्वारा सूचित किया गया कि संलग्न **परिशिष्ट "34"** में वर्णित अग्रिम राशियों में से `6014000 की वसूली संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से की जा चुकी हैं, (जिनके सन्दर्भ में प्रस्तुत अभिलेख से अंकेक्षण में भी पुष्टि कर ली गई है) परन्तु अभी भी निम्न विवरणानुसार `47,77,036 की अग्रिम राशियां संविदाकारों से वसूली हेतु शेष हैंः–

क्र0 सं0	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	वाउचर	विवरण/उद्देश्य	प्राप्तकर्ता संविदाकार	राशि (`)
1	17.08.16	17	30	निर्माण कार्य	सुजल खान	300000
2	14.10.16	34	33	निर्माण कार्य	वीरेन्द्र कुमार	493720

3	14.10.16	34	32	निर्माण कार्य	गुरमीत सिंह	467316
4	27.10.16	36	58	निर्माण कार्य	कृष्ण लाल	110000
5	17.11.16	42	33	निर्माण कार्य	मोईन खान	300000
6	14.02.17	65	31	निर्माण कार्य	बी. एस. बेदी को दिये `25,00,000 में से अन्तिम बिल तक `22,80,000 ही समायोजित हैं भोष राि ा असमायोजित है।	220000
7	21.04.17	81	25(ii)	निर्माण कार्य	मोईन खान को दिये `5,00,000 में से अन्तिम बिल तक `1,14,000 ही समायोजित हैं भोष राि ा असमायोजित है।	386000
8	26.05.17	90	72	निर्माण कार्य	सुजल खान	1500000
9	17.06.17	96	36	निर्माण कार्य	बी. एस. बेदी	300000
10	11.10.17	124	37	निर्माण कार्य	बी. एस. बेदी	500000
11	16.02.18	151	51(i)	निर्माण कार्य	सुजल खान	200000
						4777036

इस सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैः–

(क) परिषद द्वारा अनियमित अग्रिम प्रदान करने के उपरान्त इनकी वसूली संविदाकारों से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल से की जानी चाहिए थी ताकि परिषद के हित सुरक्षित किए जा सके परन्तु इसके विपरीत अंकेक्षण में पाया कि उपरोक्त वर्णित तालिका 1 में वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में संविदाकारों को जो कार्य आबन्टित किये गये थे उनमें से लगभग सभी पूर्ण हो चुके हैं तथा अन्तिम बिलों का भुगतान भी सम्भतयः किया जा चुका था इसके बावजूद भी अंकेक्षण समाप्ति तक तीन वर्ष का समय बीत जाने के प चात भी `1,07,91,036 की अग्रिम राि ा में से `47,77,036 की अग्रिम राि ा वसूली हेतु भोष थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा नगर परिषद की लचर

कार्य ौली को परिलक्षित करता है क्योंकि ऐसे में `48.00 लाख के सम्भावित दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) तालिका 1 में वर्णित `1.08 करोड़ के अग्रिम भुगतानों के प्रकरण नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान पाये गये है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा यह अनियमित कार्यप्रणाली पिछले काफी समय से अपनाई जा रही है इसलिए अंकेक्षणावधि के दो वर्षों सहित इससे अगले व पूर्व वर्षों में भी ऐसे अनियमित भुगतानों से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर पूर्ण छानबीन करके सम्बन्धित प्रकरणों में भी नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिि चत की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह गम्भीर प्रकरण भाहरी विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में वि ोष रूप से नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है कि ताकि परिषद के हितों को कोई नुकसान न हो तथा ऐसी वित्तीय अनियमितताओं की पनुरावृति न हो यह भी सुनिि चत हो सके।

18 निक्षेप निर्माण कार्य "सीवरेज लाईन बिछाना" के दौरान रास्तों/सडकों की हुई टूट–फूट की मुरम्मत पर परिषद द्वारा किया गया `13.13 लाख के व्यय का सम्बन्धित विभाग से समायोजन हेतु भोष पाया जाना

चयनित माह के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया है कि निम्न वर्णित निर्माण कार्य बिलों के अन्तर्गत `1312847 का भुगतान सडकों व रास्तों में टूट–फूट की मुरम्मत का कार्य निष्पादित करने हेतु किया गया था जोकि निक्षेप निर्माण कार्य "सीवरेज लाईन बिछाना" के निष्पादन के दौरान हुई थी।

क्र0सं0	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	वाउचर	राशि (`)
1	01.09.16	23	26	55950
2	21.09.16	27	53	95345
3	27.8.17	113	55	163208
4	27.8.17	113	56	89975
5	27.8.17	113	57	71846

6	27.8.17	113	58	77458
7	27.8.17	113	59	102558
8	27.8.17	113	61	77373
9	27.8.17	113	62	138794
10	27.8.17	113	63	236397
11	27.8.17	113	64	90808
12	27.8.17	113	65	113135
			कुल योग	**1312847**

इस सन्दर्भ में प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा सीवरेज लाईन बिछाने का कार्य सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग, हि0प्र0 से निक्षेप कार्य के आधार पर करवाया जा रहा है जिसके लिये विभाग को दिनांक 31.03.18 तक कुल `123642000 का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। इस कार्य हेतु सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग द्वारा दिये गये प्राक्कलन के अनुसार कुल व्यय `167853673 में मद संख्या 16 पर `7137000 का प्रावधान सड़कों व रास्तों की टूट–फूट की मुरम्मत कार्य हेतु भी भाामिल था जिससे स्पष्ट है कि उक्त वर्णित निक्षेप निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान हुई सड़कों/रास्तों की टूट–फूट के मुरम्मत का व्यय भी सिंचाई व जन स्वास्थय विभाग द्वारा ही वहन किया जाना था न कि नगर परिषद द्वारा चूंकि सीवरेज लाईन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा रास्तों व सड़कों की टूट फूट की मुरम्मत परिषद द्वारा करवाई जा चुकी है इसलिए अब सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग हि0प्र0 को अन्तिम भुगतान से पूर्व उपरोक्त तालिक में वर्णित सड़कों के मुरम्मत व्यय के अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य व्यय का भी सम्पूर्ण विवरण अपने स्तर पर तैयार करते हुए समस्त व्यय रा‍ि ा की कटौती करके समायोजित/वसूल किया जाना सुनि‍ि चत किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 निक्षेप निर्माण कार्य (Deposit Work) हेतु जमा `576.42 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर / एल.ए.डी. / 2019 / –38 दिनांकः 22 / 02 / 2019 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट "35"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद ने `5,76,42,000 की राशि अधि ाषी अभियन्ता, हि. प्र. सिंचाई एवं जल स्वास्थय विभाग मण्डल, नालागढ़ को निक्षेप निर्माण कार्य "सीवरेज निर्माण" हेतु दिनांक 2.2.17 व 12.4.17 को अन्तरित करके जमा किए हैं परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस कार्य का पूर्णता प्रमाणपत्र तथा जमा रा ा का उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद को प्राप्त नहीं हुआ था जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनि चत किया जाए।

20 `38.23 लाख की एल. ई. डी. लाईटों की खरीद में पाई गई गम्भीर अनियमितताएँ

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया है कि परिषद की दिनांक 23.04.2016 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 74 के आधार पर दिनांक 18.06.2016 को कुल 60 एल. ई. डी. लाईटों (25 वाट की 30 तथा 45 वाट की 30) के क्रय हेतु स्थानीय स्तर पर निविदाएँ आमन्त्रित की गई थी जिसमें श्री गुरू नानक इलैक्ट्रीकल परवाणू की दरें सबसे न्यूनतम थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा 60 लाईटों की माँग के विरूद्ध अवधि 21.07.2016 से 1.11.2017 तक निम्न विवरणानुसार 780 (390+390) एल. ई. डी. लाईटों की खरीद हेतु `38,23,288 का भुगतान किया गया थाः–

क्र0स0	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	वाउचर संख्या	45 वाट बल्ब मात्रा	25 वाट बल्ब मात्रा	कुल भुगतान (`)	आपूर्तीकर्ता
1	21.7.16	10	45	30	30	295147	श्री गुरू नानक इलैक्ट्रीकल परवाणू
2	27.9.16	28	58	30	30	295147	–यथोपरि–
3	18.10.16	34	38	30	30	295147	–यथोपरि–
4	28.12.16	52	60	30	30	295147	–यथोपरि–
5	18.1.17	58	34	30	30	295147	–यथोपरि–
6	20.2.17	66	43	30	30	295147	–यथोपरि–
वर्ष 2016–17 के लिये योग (क)				**180**	**180**	**1770882**	
7	3.5.17	85	26	30	30	295147	–यथोपरि–

8	12.5.17	87	33	30	30	295147	–यथोपरि–
9	16.5.17	87	35	30	30	295147	–यथोपरि–
10	12.6.17	95	33	30	30	295147	–यथोपरि–
11	21.7.17	105	59	30	30	290606	–यथोपरि–
12	29.8.17	113	67	30	30	290606	–यथोपरि–
13	1.11.17	129	20	30	30	290606	–यथोपरि–
वर्ष 2017–18 के लिये योग (ख)				**210**	**210**	**2052406**	
दो वर्षों के लिये कुल योग (क+ख)				**390**	**390**	**3823288**	

उपरोक्त खरीद में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

(क) चूंकि खरीदी गई लाईटों की कुल लागत 10 लाख से अधिक है इसलिए हिमालच प्रदे ा वित्तीय नियम 2009 के नियम 192 की अनुपालना में हिमाचल प्रदे ा सरकार, उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind/SP (Misc)F(6-10)4/80-111 दिनांक 24.10.2013 द्वारा अधिसूचित स्टोर खरीद सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (i) से 9 (ix) के अनुसार ऐसी खरीद हेतु निविदा सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रका ान करने के अतिरिक्त एल0ई0डी0 लाईटों के उत्पादकों को सीधे तौर पर भी भेजा जाना अपेक्षित था परन्तु परिषद द्वारा उक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये केवल स्थानीय स्तर पर ही निविदाऐं आमन्त्रित की जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम उच्चाधिकारियों की प्र ाासनिक व व्यय स्वीकृति से बचने हेतु इतनी बड़ी खरीद को जानबूझ कर छोटी–छोटी खरीद में बांटा गया है और परिषद निधि की Cost पर जानबूझकर आपूर्तिकर्ता को वि ोष लाभ पहुँचाया गया है। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की वि ोष स्वीकृति से नियमित करवाया तथा यह भी प्रमाणित किया जाए कि उक्त अनियमितता के कारण परिषद को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

(ख) स्टॉक रजिस्टर में उक्त क्रय की गई LED स्ट्रीट लाईटों की खपत का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था जैस उदाहरणार्थ दिनांक 7.10.2016 को 36 LED स्ट्रीट लाईट (45W) की स्टॉक रजिस्टर में यह लिख कर खपत द ाीई गई थी issued to various works in MC Nalagarh word No 1 to 9 इसी प्रकार दिनांक 8.12.2016 को 30 LED Light issued to repairing of street light point ward No. 1 to 9 जबकि नियमानुसार जिस स्ट्रीट लाईट पोल को उक्त स्ट्रीट लाईट जारी की गई थी उसका पोल नम्बर स्टॉक रजिस्टर में द ाीया जाना अपेक्षित था जिससे लाईटों के उपयोग की औचित्यता स्पष्ट हो सके। अतः स्टॉक

रजिस्ट्रर में स्ट्रीट लाईट की खपत पोल नम्बर वार न द ाने के कारण उपरोक्त क्रय की गई स्ट्रीट लाईट की खपत की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी तथा ऐसे में लाईटों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इन स्ट्रीट लाईट की खपत की जाँच विभागीय स्तर पर करवाकर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) इसके अतिरिक्त वर्णित स्ट्रीट लाईटों के उपभोग के कारण प्राप्त पुरानी लाईटों के स्टॉक/डैड स्टॉक रजिस्टर को भी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनि चत किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण अधियाचना संख्याःअं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019–63 दिनांक 27.3.19 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ।

21 `2.19 लाख की G.I. पाईपों की खरीद व खपत में पाई गई अनियमितताएं

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार मै0 जिंदल एंड कम्पनी, साई रोड बद्दी को G.I. पाईपों के क्रय हेतु `218917 का भुगतान किया गया थाः–

वाउचर संख्या	दिनाँक	क्रय का विवरण	मात्रा	दर (`)	राशि (`)
51	8-8-17	G.I. PIPE 1 “	48	1003.80	48182.40
				SGST/CGST	8781
				Fraight	600
				Total(A)	57563.40
		G.I. PIPE 1.25”	70	1262.40	88368.00
		G.I. PIPE 1”	22	1003.80	22083.60
		G.I. PIPE ¾ “	20	706.20	14124.20
		G.I. PIPE ½ “	20	557.40	11148.00
					135723.80
				FRAIGHT /CGST/SGST	25630.2
				TOTAL(B)	161354
		TOTAL(A+B)		57563+161354	218917

उपरोक्त पाईपो के क्रय में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) उक्त पाईपों के क्रय बिल में पाईपों की पूर्ण Specification के साथ ब्रांड व क्वालिटी का कोई विवरण नहीं दिया गया था जिसके अभाव में उक्त पाईपों के क्रय हेतु भुगतान राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) उपरोक्त क्रय पाईपों की खपत का स्टॉक रजिस्टर में स्पष्ट व पूर्ण विवरण वर्णित नहीं था अपितु इन्हें integrated housing SLUM development programm के अन्तर्गत निर्माण किये गए भवनों को जारी करके इनकी खपत दर्शाई गई थी जबकि नियमानुसार इन पाईपों की खपत M.B. के माध्यम से बलॉक वार, सेट वार दर्शाई जानी चाहिए थी। ऐसी अवस्था में उक्त पाईपों की खपत में किसी अनियमितता की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इन पाईपों की खपत की जाँच विभागीय स्तर पर करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने के अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर को यथानुसार अद्यतन (Updation) करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(iii) अभिलेख में उक्त क्रय से पूर्व प्राप्त निविदाओं की मूल प्रति न संलग्न करके (photostate) छायाप्रति संलग्न की गई थी जिस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए मूल अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किा जाए।

(iv) उपरोक्त पाईपों के स्टॉक रजिस्टर को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

22 निर्माण कार्य में ठेकेदार को ₹176 का अधिक भुगतान करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ठेकेदार को वाउचर संख्या 21 दिनांक 1.9.2016 द्वारा ₹176 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

MB NO page no	Name of work	Item no	Name of item	Quantity taken in MB	Quantity to be taken in MB	Qty excess taken in MB	Rate (₹)	Amount (₹)
76/49	c/o 4 no shop in Gandhi Transport	4	Form Work	140.59 m2	138.39	2.20 m2	80 per	176.00

	Nager ward no 1						m2	

23 ठेकेदारों को प्रतिभूति राशि का वापिसी भुगतान बिना MB में दर्ज किये करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार ठेकेदारों को निर्माण कार्य बिलों से काटी की गई प्रतिभूति राशि का वापिसी भुगतान बिना MB में दर्ज किए ही किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार प्रतिभूति राशि का वापसी भुगतान MB में दर्ज करने के उपरान्त किया जाना अपेक्षित था तथा ऐसे में प्रतिभूति राशि के दो बार वापिसी भुगतान की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन प्रकरणों में अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए:–

वाउचर नंबर	दिनांक	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	प्रतिभूति राशी (`)
56	28-8-17	Repair of street in ward no 8 MB No 80 /-37-39	श्री एस एम् बेदी	4737
57	28-8-17	Repair of street in ward no 8 job no 1 MB NO 80/42-43	श्री बी एस बेदी	3783
58	28-8-17	Repair of street in ward no 8 job no 2 MB NO 80/44-46	श्री बी एस बेदी	4078
	28-8-17	Repair of street in ward no 8 job 3MB NO 80/46-48	श्री बी एस बेदी	4061

24 नाम पट्टिकाओं (Honour Board) की लिखाई कार्य हेतु `0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

(क) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 50 दिनांक 21.9.2016 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नाम पट्टिकाओं व दीवारों

पर लिखाई कार्य हेतु `7100 की अपेक्षा `8100 का भुगतान किया गया था जोकि `1000 अधिक था:—

क्र . संख्या	क्रय का विवरण	दर (`)	मात्रा	जितनी राशि भुगतान कि जानी अपेक्षित थी (`)	भुगतान कि गई राशि	अधिक भुगतान कि गई राशि (`)
1	अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कि नाम पट्टिकाओं को तैयार करने का व्यय	2800	2	5600	.	.
2	दीवारों पर लिखाई का कार्य	`30 प्रति वर्ग फुट	50 वर्ग फुट	1500	.	.
				7100	**8100**	**1000**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150 दिनांक 18.3.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से उक्त अधिक भुगतान रा ा की उचित स्त्रोत से वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करने का अनुरोध किया गया था जिसकी अनुपालना में नगर परिषद ने `1000 की रसीद संख्या 62/183 दिनांक 19.3.2019 द्वारा वसूली करके रा ा नगर परिषद निधि में जमा करवा दी थी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में भी कर ली गई है। अतः भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त क्रम संख्याः 2 पर वर्णित बिल अनुसार दीवारों पर "कार्यालय नगर परिषद नालागढ़ " व "आवास कार्यकारी अधिकारी" इत्यादि लिखाई के 50 वर्ग फुट कार्य हेतु `30 प्रति वर्ग फुट की दर से `1500 का भुगतान किया गया था परन्तु प्रस्तुत अभिलेख में उक्त 50 वर्ग फुट लिखाई कार्य के माप का कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया गया था जिसके अभाव में वर्णित `1500 के भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका जिस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनि चत की जाए।

25 स्ट्रीट लाईटों के रख—रखाव ठेके में पुरानी 421 लाईटों की बाई बैंक (Buy Back) भार्त के अनुसार सम्बन्धित कम्पनी को देय भुगतान में से

यथोचित कटौती न करने के कारण परिषद को लाखों रूपये की वित्तीय हानि

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/60 दिनांक 25.03.2019 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिका के पत्र संख्या5 एम0सी0/नलग/2019–339 दिनांक 27.03.2019 द्वारा **परिि◻ाष्ट "36"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद ने भाहरी विकास निदे ाालय द्वारा चयनित कम्पनी ई0ई0एस0एल0 के साथ 03.06.2016 को समझौता करके परिषद सीमाओं के अन्दर 421 स्ट्रीट लाईटें लगाने तथा उनका रख–रखाव करने का जिम्मा सौंपा था तथा इस सन्दर्भ में निदे ाक भाहरी विकास, हिमाचल प्रदे ा से प्राप्त निर्दे ाानुसार ही बदली जाने वाली 421 पुरानी लाईटों को नष्ट करने के उद्दे य से ई0ई0 एस0एल0 कम्पनी को समझौते की बाई बैक (Buy Back) भार्त के अनुसार सौंपते हुए इसकी एवज में कम्पनी को किये जाने वाले भुगतान से यथोचित कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु परिषद द्वारा इस भार्त की अवहेलना करते हुये कम्पनी को किये गये भुगतान से किसी प्रकार की अपेक्षित कटौती नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके कारण परिषद को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/62 दिनांक 27.3.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा चूंकि ई0ई0एस0एल0 कम्पनी के साथ रख–रखाव का समझौता मात्र पाँच वर्षों के लिये है जिसमें से तीन वर्ष बीत चुके है, इसलिए इस प्रकरण में कटौती की जाने वाली अपेक्षित राि ा की विभागीय स्तर पर गणना करके उसे प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूल करना सुनिि चत किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

26 विज्ञापन और दृ◻य प्रचार निदे◻ाालय (Directorate of Advertising And Visual Publication-DAVP) द्वारा पॉलिसी में प्रावधित 15 प्रति◻ात की छूट का लाभ प्राप्त न किए जाने के कारण टैंडर व अन्य प्रका◻ानों के विज्ञापन पर `0.33 लाख की राजस्व हानि

विज्ञापन और दृ य प्रचार निदे ाालय (Directorate of Advertising and Visual Publication-DAVP) द्वारा सरकारी विभागों व उपक्रमों द्वारा समाचार पत्रों में छपवाए जाने

वाले विज्ञापनों के सन्दर्भ तथा उसके लिए भुगतान किए जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध में एक पॉलिसी जारी की है जिसके प्रावधानों के अनुसार यदि विज्ञापन निदे ाालय के जरिये छपवाया जाए तो कुल भुगतान पर 15 प्रति ात छूट दी जानी अपेक्षित है। इसी सन्दर्भ में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्या 2006/1–15Pub-92-14263 दिनांक 30.8.2006 व पत्र संख्या I -PR-H(F)-4 (App)/2013 दिनांक 5.7.13 द्वारा समस्त बोर्ड, विभागों, कार्पोरे ान इत्यादि को अपने विज्ञापन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि0प्र0 के माध्यम से छपवाए जाने बारे दि ाा निर्दे ा जारी किए है परन्तु अंकेक्षण हेतु चयनित माह में की गई अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में परिषद द्वारा विज्ञापनों का सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हि0प्र0 के माध्यम से करवाने के स्थान पर सीधे अपने स्तर समाचार पत्रों को जारी करके करवाया गया था जिस कारण 15 प्रति ात छूट का लाभ प्राप्त नहीं हुआ परिणामतः निम्नविवरणानुसार सरकार को `32504 की राजस्व हानि हुई है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2019/47 दिनांक 6.3.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम अधिकारी की वि ोष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त हानि की भरपाई सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनि चत करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

क्र0 सं0	वाउचर संख्या	दिनांक	संस्था/समाचार पत्र	वाउचर में विज्ञापनों की संख्या	भुगतान राि (`)
1	39	20.07.2016	दिव्य हिमाचल	1	3,950
2	48	27.07.2016	भ्ाुलिनी समाचार	1	3,000
3	25	17.08.2016	भ्ाुलिनी समाचार	2	4,000
4	26	17.08.2016	दिव्य हिमाचल	3	19,176
5	60	27.09.2016	आपका फैसला	3	10,352
6	40	25.10.2016	दिव्य हिमाचल	2	5,678
7	38	22.11.2016	दिव्य हिमाचल	4	31,558

8	33	16.12.2016	अमर उजाला	1	4,964
9	34	16.12.2016	आपका फैसला	1	5,000
10	35	16.12.2016	हिन्द सामाचार	1	8,580
11	36	16.12.2016	दैनिक भास्कर	3	68,764
12	34	08.03.2017	अजित सामाचार	1	2,901
13	35	08.03.2017	आपका फैसला	1	4,778
14	18	12.04.2017	भ्ाुलिनी समाचार	4	10,000
15	25	13.06.2017	हिन्द सामाचार	1	2,578
16	27	12.07.2017	आपका फैसला	2	7,167
17	28	12.07.2017	अमर उजाला	1	7,926
18	29	12.07.2017	दिव्य हिमाचल	3	9,353
19	30	12.07.2017	उतम हिन्दु	1	2,958
20	46	18.08.2017	दिव्य हिमाचल	1	4,008
			कुल योग		**2,16,691**
		15 प्रतिशत की दर से प्राप्य छूट की राशि			**32504**

27 सहायक भविष्य निधि आयुक्त शिमला को भुगतान की गई राशि की वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सहायक भविष्य निधि आयुक्त शिमला द्वारा U/S 7A of the Employees Provident Fund and miscellaneous Provisional Act 1952 के अन्तर्गत जारी नोटिस की अनुपालना में नगर परिषद द्वारा दैनिक भोगी व ठेके पर कार्यरत्त कर्मचारियों का अवधि 1/2011 से 7/2011 तक देय EPF नियोक्ता/अंशदान की राशि `86612 वाउचर संख्या 40 दिनांक 11.8.2017 के अन्तर्गत आहरित करके मै0 सुषमा चोपड़ा अपर मेहला कालका के माध्यम से सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में जमा करवाई गई थी परन्तु वर्णित भुगतान की वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई

जिसके अभाव में भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 153 दिनांक 27.3.19 द्वारा उक्त अभिलेख अंकेक्षण मे प्रस्तुत करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद ने सूचित किया कि उक्त रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिि चत की जाए।

28 `3.46 लाख की क्रय मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि/गणना न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार `345834 की क्रय मदों की स्टॉक रजिस्टर में गणना/प्रविष्टि नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में मदों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। वर्णित अनियमितता सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्या 152 दिनांक 25.3.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में सूचित किया गया कि उक्त मदों की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की जा सकी तथा वर्णित मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिि चत करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति पर रोक लगाई जानी भी सुनिि चत की जाए:—

V.N	Date	To whom rent of	Particular	Qty.	Rate(`)	Amount (`)	Total (`)
47	21-9-2016	MS. Naveen Kumar VPO Majhali	Mouse,	1	350.00	350.00	2450.00
			tonner refilling ,	3	350.00	1050.00	
			Drum	3	350.00	1050.00	
45	18-8-17	MS Sikandar lal Rakesh Kumar nalagrah	Harpik	1	78.00	78.00	128.00
			toilet brush	1	50.00	50.00	

26	1-9-16	MS Kasim Supplier of material	Crushed stone	55.25	500.00	27625	52650.00
			gravel	45.50	550.00	25025	
67	30-8-17	MS Guru Nanak Electrical	Street light 25W	30	2409.00	72270.00	259470
			Street light 45W	30	6240.00	187200.00	
			CGST				15568.00
			SGST				15568.00
						Total	345834.00

29 स्टॉक रजिस्टर में बिजली के सामान की खपत का स्पष्ट विवरण वर्णित न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा लाखों में क्रय बिजली के सामान जैसे Tube चौक, tube रोड, सी एफ0एल0लैप व tube होल्डर इत्यादि की खपत/उपयोग का पूर्ण विवरण जैसे यह किस बोर्ड में स्थापित किस वार्ड के पोल/स्ट्रीट लाईट Point पर किया गया है इत्यादि स्टॉक रजिस्टर में स्पष्ट वर्णित नहीं था अपितु केवल यह लिखा गया था कि उक्त सामान विभिन्न वार्डों की स्ट्रीट लाईटों की रिपेयर में प्रयोग किया गया है जैसे कि स्टॉक रजिस्टर नम्बर 59 के पृष्ठ 30 पर 100 नम्बर चोक व पृष्ठ 45 पर 45 नम्बर होल्डर व पृष्ठ 47 पर सी0एफ0एल0बल्ब 45 वाल्ट का स्टॉक रजिस्टर में "issued to reparing of street light in various ward" द ार्ाकर इनकी खपत द ार्ाई गई थी। वर्णित विवरण के अभाव में उक्त क्रय सामान की खपत का सम्पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में मदों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त मदों की स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार खपत न द ार्ाने का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त उपरोक्त बिजली के सामान व अन्य मदों की स्टॉक रजिस्टर अनुसार खपत की विभागीय स्तर पर जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार खपत का स्पष्ट रूप से पूर्ण विवरण दिया जाना भी सुनिि चत किया जाए।

30 मानदेय रजिस्टर का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 48 दिनांक 18.8.2017 द्वारा डा0 राजीव वालिया, वरिष्ठ प ाु चिकित्सक अधिकारी को मीट इंस्पेक ान भत्ते के रूप में `300

प्रतिमाह की दर से अवधि 1.5.2016 से 31.7.2017 तक के लिए `4500 (15X300) का भुगतान किया गया परन्तु परिषद द्वारा मानदेय रजिस्टर का रख–रखाव न करने के कारण उक्त भुगतान का पूर्ण अकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसी अवस्था में दोहरा/अधिक भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए मानदेय रजिस्टर का रख–रखाव व अद्यतन किया जाना सुनिि चत किया जाए ताकि मानदेय के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे तथा कृत कार्यवाही आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

31 नगर परिषद की देनदारियों के लिए संकलित अभिलेख तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत क्रम ाः `5.12 करोड़ तथा `8.60 करोड़ निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये थे जिसके भुगतान बिलों में से नियमानुसार निर्धारित दर से जी0एस0टी0 आयकर तथा लेबर सैस की कटौती करके राि ा को नगर परिषद द्वारा समय–समय पर सम्बन्धित विभागों में जमा करवाया गया था परन्तु इस लेन–देन का संकलित अभिलेख परिषद के पास उपलब्ध नहीं था । चूंकि उपरोक्त सभी देनदारियां/कटौतियां परिषद के आहरण व वितरण अधिकारी को सरकार द्वारा सौंपा गया वैधानिक दायित्व है इसलिए वर्णित लेन–देन हेतु परिषद के पास हमे ाा जरूरी निधि का उपलब्ध होना आव यक है तथा हिमाचल प्रदे ा नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार इस लेन–देन का यथोचित लेखांकन एवं जाँच के लिए संकलित अभिलेख तैयार व रख–रखाव किया जाना भी आव यक है। वर्णित अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण के दौरान उक्त कटौतियों तथा इनके सम्बन्धित विभाग को भुगतान का अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर रख–रखाव करके अद्यतन करना सुनिि चत किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

32 वर्गीकृत खाता बहियों को तैयार न करना

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदे ा नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही थी तथा इसी प्रकार विभिन्न मदों के अन्तर्गत व्यय भी किया जा रहा था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर

परिषद द्वारा आय व व्यय के मदवार पृथक–2 लेखा भीर्षों के अन्तर्गत खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निि चत अवधि में विभिन्न मदों में आय व व्यय की कितनी माँग/देयता थी, कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निि चत तिथि को कितनी राि ा वसूली अथवा भुगतान हेतु भोष है। अतः पराम र्ा दिया जाता है कि प्रत्येक आय–व्यय मद की खाता बहियाँ तैयार की जाए ताकि परिषद की विस्तृत वित्तीय स्थिति एक नजर में स्पष्ट विदित हो सके तदानुसार कुत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

33 विभागीय वाहनों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करना

नगर परिषद द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम अधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया था जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है तथा निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी निरीक्षण/टैस्ट चैक (जो भी पहले हो) तक बनाये रखना होता है अतः वाहनों की औसत तेल खपत निध्ररित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर सत्यापित करवाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित औसत वास्तविक खपत से कम पाई जाती है तो अधिक तेल खपत की गणना परिषद अपने स्त्तर पर करके अपेक्षित राि ा की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिि चत करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

34 स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों में पड़े सामान की भौतिक सत्यापना (Phsical Verification) नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदे ा वित्तीय नियमावली 1971 खण्ड–1 के नियम 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमानुसार प्रत्येक वर्ष स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अविलम्ब स्टॉक की भौतिक सत्यापना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रतयेक वर्ष नियमित रूप से स्टॉक की भौतिक सत्यापना करवाई जानी भी सुनिि चत की जाए।

35 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

36 **निष्कर्ष**:— लेखों के रख—रखाव में सुधार की तथा अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आव यकता है।

हस्ता /-

(हेम राज भारद्वाज)
उप सहायक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदे ा,ि ामला—171009.
फोन नं0—0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या : v (10) फिन (एल0ए0) खण्ड—5 ि ामला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 निदे ाक भाहरी विकास हिमाचल प्रदे ा ि ामला—171009 को पैरा 1 (ग) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आव यक कार्रवाई करने के लिए निर्दे ा जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदे ा को इस आ ाय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता /-
(हेम राज भारद्वाज)
उप सहायक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदे ा,ि ामला—171009.
फोन नं0—0177—2620881

परिशिष्ट (1) **संख्या 1 (घ) में**

सन्दर्भित

नगर परिषद नालागढ़ के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1950–51 से 1951–52

1	पैरा–6 (ए) (5)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ए) (6)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 3/57

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–15	अनिर्णीत

(3) सहायक परीक्षक के दिनांक 13.9.57 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/64 से 9/65

1	पैरा–8 (2) (बी)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/65 से 3/73 तक

1	पैरा–9	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (जी)	अनिर्णीत
5	पैरा–18	अनिर्णीत
6	पैरा–21 (जी)	अनिर्णीत
7	पैरा–23 (बी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/74 तक

1	पैरा–7	आंि ाक निर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अनिर्णीत
7	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
9	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/79

1	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (10)	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (19)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (20)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (डी) (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (डी) (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (सी)	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–20	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–24	अनिर्णीत
23	पैरा–25	अनिर्णीत
24	पैरा–27	अनिर्णीत
25	पैरा–28	अनिर्णीत
26	पैरा–29	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/79 से 3/80

1	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत

3	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (जी)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा–16	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	आंशिक निर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–16 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–17	अनिर्णीत

(10) सहायक परीक्षक की दिनांक 20.1.81 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (एल)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एन)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (पी)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत

19	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा–18 (ए)	अनिर्णीत
23	पैरा–18 (बी)	अनिर्णीत
24	पैरा–19 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा–19 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ए)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–8	आंशिक निर्णीत
10	पैरा–9	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत

20	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
21	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
22	पैरा–13 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा–13 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (सी)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (जी)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (एच)	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत
33	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत
34	पैरा–16	अनिर्णीत
35	पैरा–17 (बी)	अनिर्णीत
36	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
37	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (ई)	अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 तक

1	पैरा–3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ए) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ए) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ए) (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (ए)	आंि ाक निर्णीत (`9078.84 की वसूली ोष)
6	पैरा–6 (बी)	आंि ाक निर्णीत (`9028.00 की वसूली ोष)
7	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत

8	पैरा–7	अनिर्णीत
9	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–11	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (के)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (एम)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (एन)	अनिर्णीत
30	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
31	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
32	पैरा–17 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा–17 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत

37	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत

(15) लघु आपत्तियॉ

1	4/74 से 3/79	9 व 11 अनिर्णीत
2	4/79 से 3/80	5 व 8 अनिर्णीत

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–5 (जी)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (आई)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा–5 (जे)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए)	आंशिक निर्णीत
5	पैरा–7 (बी)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा–7 (सी)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (ए) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–16 (ए) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–16 (ए) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–16 (ए) (4)	अनिर्णीत
20	पैरा–17 (बी) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (बी) (4)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (बी) (5)	अनिर्णीत

23	पैरा—18	अनिर्णीत	
24	पैरा—20 (बी)	अनिर्णीत	
25	पैरा—20 (ई)	अनिर्णीत	
26	पैरा—20 (एफ)	अनिर्णीत	
27	पैरा—20 (जी)	अनिर्णीत	
25	लघु आपत्तियॉ 4, 6 व 7	अनिर्णीत	

(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/98 तक

1	पैरा—5 (क) (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा—5 (क) (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा—5 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा—5 (ग) (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा—5 (ग) (2)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
6	पैरा—5 (ग) (3)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
7	पैरा—5 (ग) (4)	अनिर्णीत	
8	पैरा—5 (ग) (5)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
9	पैरा—5 (घ)	अनिर्णीत	
10	पैरा—5 (ङ)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख के सत्यापन उपरान्त।)
11	पैरा—5 (च)	अनिर्णीत	
12	पैरा—5 (छ)	अनिर्णीत	
13	पैरा—7 (क)	आंशिक निर्णीत	
14	पैरा—7 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा—7 (ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा—12 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा—12 (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा—12 (ग)	अनिर्णीत	

19	पैरा–12 (ङ)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (2) (सी)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (2) (i)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (2) (ii)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (2) (iii)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (4)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (4) (i)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (4) (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (4) (iii)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (4) (iv)	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (5) (i)	अनिर्णीत
33	पैरा–15 (5) (ii)	अनिर्णीत
34	पैरा–15 (6) (i)	अनिर्णीत
35	पैरा–15 (7) (i)	अनिर्णीत
36	पैरा–15 (7) (ii)	अनिर्णीत
37	पैरा–15 (7) (iii)	अनिर्णीत
38	पैरा–15 (7) (iv)	अनिर्णीत
39	पैरा–15 (8) (i)	अनिर्णीत
40	पैरा–15 (8) (ii)	अनिर्णीत
41	पैरा–15 (8) (iii)	अनिर्णीत
42	पैरा–15 (9)	अनिर्णीत
43	पैरा–15 (10)	अनिर्णीत
44	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
45	पैरा–16 (ii)	अनिर्णीत

46	पैरा–16 (iii)	अनिर्णीत
47	पैरा–16 (iii) (i)	अनिर्णीत
48	पैरा–16 (iii) (ii)	अनिर्णीत
49	पैरा–16 (iii) (iii)	अनिर्णीत
50	पैरा–16 (iii) (iv)	अनिर्णीत
51	पैरा–16 (iii) (v)	अनिर्णीत
52	पैरा–16 (iii) (vi)	अनिर्णीत
53	पैरा–16 (iii) (vii)	अनिर्णीत
54	पैरा–16 (iii) (viii)	अनिर्णीत
55	पैरा–16 (iii) (ix)	अनिर्णीत
56	पैरा–16 (iii) (x)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (iii) (xi)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (iii) (xii)	अनिर्णीत
58	पैरा–16 (iii) (xiii)	अनिर्णीत
60	पैरा–16 (iii) (xiv)	अनिर्णीत
61	पैरा–16 (iii) (xv)	अनिर्णीत
62	पैरा–16 (iii) (xvi)	अनिर्णीत
63	पैरा–16 (iii) (xvii)	अनिर्णीत
64	पैरा–16 (iii) (xix)	अनिर्णीत
65	पैरा–16 (iii) (xx)	अनिर्णीत
66	पैरा–16 (iii) (xxi)	अनिर्णीत
67	पैरा–16 (iii) (xxii)	अनिर्णीत
68	पैरा–16 (iii)(xxiii)	अनिर्णीत
69	पैरा–16 (iii)(xxiv)	अनिर्णीत
70	पैरा–16 (iii)(xxv)	अनिर्णीत
71	पैरा–16 (iii)(xxvi)	अनिर्णीत
72	पैरा–16 (iii)(xxvii)	अनिर्णीत

73	पैरा–16 (iii)(xxviii)	अनिर्णीत
74	पैरा–16 (iii)(xxix)	अनिर्णीत
75	पैरा–17 (घ)	अनिर्णीत
76	पैरा–18 (क) (i)	अनिर्णीत
77	पैरा–18 (क) (ii)	अनिर्णीत
78	पैरा–18 (ख) (i)	अनिर्णीत
79	पैरा–18 (ख) (ii)	अनिर्णीत
80	पैरा–18 (ख) (iii)	अनिर्णीत
81	पैरा–18 (ख) (iv)	अनिर्णीत
82	पैरा–18 (ग)	अनिर्णीत
83	पैरा–18 (घ)	अनिर्णीत
84	पैरा–19 (क) (i)	अनिर्णीत
85	पैरा–19 (क) (ii)	अनिर्णीत
86	पैरा–19 (क) (iii)	अनिर्णीत
87	पैरा–19 (क) (iv)	अनिर्णीत
88	पैरा–19 (क) (v)	अनिर्णीत
89	पैरा–19 (क) (vi)	अनिर्णीत
90	पैरा–19 (क) (vii)	अनिर्णीत
91	पैरा–19 (क) (viii)	अनिर्णीत
92	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत
93	पैरा–20	अनिर्णीत
94	पैरा–21 (i)	अनिर्णीत
95	पैरा–21 (ii)	अनिर्णीत
96	पैरा–22 (i)	अनिर्णीत
97	पैरा–22 (ii)	अनिर्णीत
98	पैरा–22 (iii)	अनिर्णीत

99	पैरा–22 (iv)	अनिर्णीत	
100	पैरा–22 (v)	अनिर्णीत	
101	पैरा–23	अनिर्णीत	
102	पैरा–24 (क)	अनिर्णीत	
103	पैरा–24 (क) (2)	अनिर्णीत	
104	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत	
105	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत	
106	पैरा–24 (घ)	अनिर्णीत	
107	पैरा–24 (ङ)	अनिर्णीत	
108	पैरा–27	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
109	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत	
110	पैरा–30	अनिर्णीत	
111	पैरा–31	अनिर्णीत	
112	पैरा–32	अनिर्णीत	
113	पैरा–33 (1) (i)	अनिर्णीत	
114	पैरा–33 (1) (ii)	अनिर्णीत	
115	पैरा–33 (1) (iii)	अनिर्णीत	
116	पैरा–33 (1) (iv)	अनिर्णीत	
117	पैरा–33 (ख) (1)	अनिर्णीत	
118	पैरा–33 (ख) (3)	अनिर्णीत	
119	पैरा–33 (ख) (4)	अनिर्णीत	
120	पैरा–33 (ख) (5)	अनिर्णीत	
121	पैरा–33 (ख) (6)	अनिर्णीत	
122	पैरा–33 (ख) (7)	अनिर्णीत	
123	पैरा–33 (ख) (8)(i)	अनिर्णीत	
124	पैरा–33 (ख) (8) (ii)	अनिर्णीत	

125	पैरा–33 (ख) (8) (iii)	अनिर्णीत	
126	पैरा–33 (ख) (8) (iv)	अनिर्णीत	
127	पैरा–33 (ख) (9)	अनिर्णीत	
128	पैरा–33 (ख) (10)	अनिर्णीत	
129	पैरा–33 (ख) (11)	अनिर्णीत	

(18) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/07

1	पैरा–2	अनिर्णीत	
2	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा–4 (ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत	
5	पैरा–4 (v) (i)	अनिर्णीत	
6	पैरा–4 (v) (ii)	अनिर्णीत	
7	पैरा–4 (vi)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख के सत्यापन उपरान्त)
8	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत	
9	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत	
10	पैरा–5 (1) से 4 (xx)	अनिर्णीत	
11	पैरा–6 (i) से (ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा–7	अनिर्णीत	
13	पैरा–8 (i) से 8 (vi)	अनिर्णीत	
14	पैरा–9 (i) से (xii)	अनिर्णीत	

(19) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10 तक

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत

3	पैरा—4 (2) (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा—4 (2) (ग)	निर्णीत	
5	पैरा—4 (2) (ङ)	अनिर्णीत	
6	पैरा—5 (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा—6.1	अनिर्णीत	
8	पैरा—6.3	अनिर्णीत	
9	पैरा—7.2	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
10	पैरा—7.6.1	अनिर्णीत	
11	पैरा—8.1	अनिर्णीत	
12	पैरा—9	अनिर्णीत	
13	पैरा—9.1	अनिर्णीत	
14	पैरा—9.2	अनिर्णीत	
15	पैरा—9.3	अनिर्णीत	
16	पैरा—9.4	अनिर्णीत	
17	पैरा—10	अनिर्णीत	
18	पैरा—11	अनिर्णीत	
19	पैरा—12.1	अनिर्णीत	
20	पैरा—12.2	अनिर्णीत	
21	पैरा—12.3	अनिर्णीत	
22	पैरा—12.4	अनिर्णीत	
23	पैरा—13	अनिर्णीत	
24	पैरा—13.1	अनिर्णीत	
25	पैरा—13.2	अनिर्णीत	
26	पैरा—13.3	अनिर्णीत	
27	पैरा—14	अनिर्णीत	
28	पैरा—14.1	अनिर्णीत	
29	पैरा—15	अनिर्णीत	
30	पैरा—15.1.1	अनिर्णीत	

31	पैरा–15.1.2	अनिर्णीत
32	पैरा–15.2	अनिर्णीत
33	पैरा–15.3	अनिर्णीत
34	पैरा–15.4	अनिर्णीत
35	पैरा–16.1	अनिर्णीत
36	पैरा–16.2	अनिर्णीत
37	पैरा–16.3	अनिर्णीत
38	पैरा–16.4	अनिर्णीत
39	पैरा–16.5	अनिर्णीत
40	पैरा–16.6	अनिर्णीत
41	पैरा–16.7	अनिर्णीत
42	पैरा–16.8	अनिर्णीत
43	पैरा–16.9	अनिर्णीत
44	पैरा–16.10	अनिर्णीत
45	पैरा–17.1	अनिर्णीत
46	पैरा–17.2	अनिर्णीत
47	पैरा–17.3	अनिर्णीत
48	पैरा–17.4	अनिर्णीत
49	पैरा–18	अनिर्णीत
50	पैरा–18.1	अनिर्णीत
51	पैरा–18.2	अनिर्णीत
52	पैरा–18.3	अनिर्णीत
53	पैरा–19	अनिर्णीत
54	पैरा–20	अनिर्णीत
55	पैरा–21	अनिर्णीत
56	पैरा–22	अनिर्णीत
57	पैरा–23	अनिर्णीत
58	पैरा–24	अनिर्णीत
59	पैरा–24.1	अनिर्णीत

60	पैरा—24.2	अनिर्णीत
61	पैरा—24.2.1	अनिर्णीत
62	पैरा—24.3	अनिर्णीत
63	पैरा—24.4	अनिर्णीत
64	पैरा—24.4.1	अनिर्णीत
65	पैरा—24.4.2	अनिर्णीत
66	पैरा—24.4.2.1	अनिर्णीत
67	पैरा—24.2.2	अनिर्णीत
68	पैरा—24.5	अनिर्णीत
69	पैरा—24.5.1	अनिर्णीत
70	पैरा—24.6	अनिर्णीत
71	पैरा—26	अनिर्णीत
72	पैरा—26.1	अनिर्णीत
73	पैरा—26.2	अनिर्णीत
74	पैरा—26.4	अनिर्णीत
75	पैरा—26.5	अनिर्णीत
76	पैरा—26.6	अनिर्णीत
77	पैरा—26.7	अनिर्णीत
78	पैरा—26.8	अनिर्णीत
79	पैरा—27	अनिर्णीत
80	पैरा—29	अनिर्णीत
81	पैरा—30	अनिर्णीत
82	पैरा—31	अनिर्णीत
83	पैरा—32	अनिर्णीत
84	पैरा—32.1	अनिर्णीत
85	पैरा—32.2	अनिर्णीत
86	पैरा—32.3	अनिर्णीत
87	पैरा—33	अनिर्णीत
88	पैरा—34	अनिर्णीत

89	पैरा—35	अनिर्णीत	
90	पैरा—36	अनिर्णीत	
91	पैरा—38	अनिर्णीत	
92	पैरा—40	अनिर्णीत	
93	पैरा—41	अनिर्णीत	
94	पैरा—42	अनिर्णीत	
95	पैरा—43	अनिर्णीत	
96	पैरा—43.1	अनिर्णीत	
97	पैरा—44	अनिर्णीत	
98	पैरा—44.3	अनिर्णीत	

(20) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1	पैरा—4 (2) (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा—4 (2) (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा—4 (2) (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा—12	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
5	पैरा—13	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
6	पैरा—14	अनिर्णीत	
7	पैरा—21	अनिर्णीत	
8	पैरा—24	अनिर्णीत	
9	पैरा—25	अनिर्णीत	
10	पैरा—26	अनिर्णीत	
11	पैरा—27	अनिर्णीत	
12	पैरा—28	अनिर्णीत	
13	पैरा—29 (1) (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा—30	अनिर्णीत	
15	पैरा—31	अनिर्णीत	
16	पैरा—32	अनिर्णीत	

17	पैरा–33	अनिर्णीत
18	पैरा–34	अनिर्णीत
19	पैरा–35	अनिर्णीत
20	पैरा–36	अनिर्णीत
21	पैरा–37	अनिर्णीत
22	पैरा–39 (ङ)	अनिर्णीत
23	पैरा–40	अनिर्णीत
24	पैरा–42	अनिर्णीत
25	पैरा–44	अनिर्णीत
26	पैरा–45	अनिर्णीत
27	पैरा–47 (क)	अनिर्णीत
28	पैरा–47 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा–47 (ग)	अनिर्णीत
30	पैरा–47 (घ)	अनिर्णीत
31	पैरा–48 (क)	अनिर्णीत
32	पैरा–48 (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा–49	अनिर्णीत
34	पैरा–50	अनिर्णीत
35	पैरा–51	अनिर्णीत
36	पैरा–52 (क) (i) (ii) व (iii)	अनिर्णीत
37	पैरा–52 (क) (iv) (क) से (य)	अनिर्णीत
38	पैरा–53	अनिर्णीत
39	पैरा–54	अनिर्णीत
40	पैरा–55	अनिर्णीत
41	पैरा–56 (क)	अनिर्णीत
42	पैरा–56 (2)	अनिर्णीत

43	पैरा–57	अनिर्णीत
44	पैरा–58 (i)	अनिर्णीत
45	पैरा–58 (ii)	अनिर्णीत
46	पैरा–58 (iii)	अनिर्णीत
47	पैरा–58 (iv) (v)	अनिर्णीत
48	पैरा–59 (i)	अनिर्णीत
49	पैरा–59 (ii)	अनिर्णीत
50	पैरा–59 (iii)	अनिर्णीत
51	पैरा–59 (iv)	अनिर्णीत
52	पैरा–60 (i)	अनिर्णीत
53	पैरा–60 (ii)	अनिर्णीत
54	पैरा–60 (iii)	अनिर्णीत
55	पैरा–61 (i)	अनिर्णीत
56	पैरा–61 (ii)	अनिर्णीत
57	पैरा–61 (iii)	अनिर्णीत
58	पैरा–61 (iv)	अनिर्णीत
59	पैरा–61 (v)	अनिर्णीत
60	पैरा–62 (i)	अनिर्णीत
61	पैरा–62 (ii)	अनिर्णीत
62	पैरा–62 (iii)	अनिर्णीत
63	पैरा–63	अनिर्णीत
64	पैरा–64	अनिर्णीत

(21) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत

2	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत	
3	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (1)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
5	पैरा–5 (2)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
6	पैरा–5 (3)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
7	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	
8	पैरा–8	निर्णीत	(रोकड बही के सत्यापनोपरान्त।)
9	पैरा–12	निर्णीत	(बिजली उपकार रा ि की प्राप्ति की सत्यापन उपरान्त।)
10	पैरा–14	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
11	पैरा–17	अनिर्णीत	
12	पैरा–19	अनिर्णीत	
13	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत	
14	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत	
15	पैरा–22	अनिर्णीत	
16	पैरा–23	अनिर्णीत	
17	पैरा–24	अनिर्णीत	
18	पैरा–25	अनिर्णीत	
19	पैरा–26	अनिर्णीत	
20	पैरा–27	निर्णीत	(`141की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
21	पैरा–28	अनिर्णीत	
22	पैरा–29 (i)	अनिर्णीत	
23	पैरा–29 (ii)	अनिर्णीत	
24	पैरा–29 (iii)	अनिर्णीत	

25	पैरा–29 (iv)	अनिर्णीत	
26	पैरा–29 (v)	निर्णीत	(`43 की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
27	पैरा–33	अनिर्णीत	
28	पैरा–34	निर्णीत	(`262 की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
29	पैरा–35 (2)	अनिर्णीत	
30	पैरा–36	अनिर्णीत	
31	पैरा–37	अनिर्णीत	
32	पैरा–39	अनिर्णीत	
33	पैरा–40	अनिर्णीत	
34	पैरा–41	अनिर्णीत	
35	पैरा–42	अनिर्णीत	
36	पैरा–43	अनिर्णीत	
37	पैरा–44 (2)	अनिर्णीत	
38	पैरा–45	अनिर्णीत	
39	पैरा–46	निर्णीत	(`184 की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
40	पैरा–47	अनिर्णीत	
41	पैरा–48	अनिर्णीत	
42	पैरा–49	अनिर्णीत	
43	पैरा–50	अनिर्णीत	
44	पैरा–51	अनिर्णीत	
45	पैरा–52	अनिर्णीत	
46	पैरा–53	अनिर्णीत	
47	पैरा–54	अनिर्णीत	
48	पैरा–55	अनिर्णीत	
49	पैरा–56	अनिर्णीत	
50	पैरा–57	निर्णीत	(`858 की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)

51	पैरा—58	अनिर्णीत	
52	पैरा—59	अनिर्णीत	
53	पैरा—60	अनिर्णीत	
54	पैरा—61	अनिर्णीत	
55	पैरा—62	अनिर्णीत	
56	पैरा—63	अनिर्णीत	
57	पैरा—64	अनिर्णीत	
58	पैरा—65	अनिर्णीत	
59	पैरा—66	अनिर्णीत	

(21) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	पैरा—3	निर्णीत	(अंकेक्षण भुल्क के भुगतान की पुष्टि कर ली गई।
2	पैरा—4	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
3	पैरा—4 (ख)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
4	पैरा—4 (ग)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
5	पैरा—4 (घ)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
6	पैरा—4 (ङ)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
7	पैरा—5	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
8	पैरा—6	अनिर्णीत	
9	पैरा—7 (1)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
10	पैरा—7 (2)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)

11	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत	
12	पैरा–8	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
13	पैरा–9	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
14	पैरा–10	निर्णीत	(वांछित राि ा की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
15	पैरा–11 (I)	निर्णीत	(`2194 की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
16	पैरा–11 (II)	निर्णीत	(`720 की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
17	पैरा–11 (II)	निर्णीत	(`966 की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
18	पैरा–12	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
19	पैरा–13	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
20	पैरा–14	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
21	पैरा–15	निर्णीत	(विलम्ब भाुल्क की राि ा को वर्ष 2019–20 के किराया मांग एंव संग्रह अभिलेख में वसूली की प्रविष्टि के सत्यापना उपरान्त।)
22	पैरा–16	निर्णीत	(वांछित राि ा की वसूली की पुष्टि कर ली गई)
23	पैरा–17	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
24	पैरा–18	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
25	पैरा–19	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)

26	पैरा–20 (1)	निर्णीत	(वांछित रा ा की वसूली की पुष्टि कर ली गई)
27	पैरा–20 (2)	निर्णीत	(`701633 की प्राप्ति की पुष्टि कर ली गई।)
28	पैरा–20 (3)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
29	पैरा–21	अनिर्णीत	
30	पैरा–22	अनिर्णीत	
31	पैरा–23 (1)	निर्णीत	(`1150 की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
32	पैरा–23 (2)	अनिर्णीत	
33	पैरा–23 (3)	अनिर्णीत	
34	पैरा–23 (4)	अनिर्णीत	
35	पैरा–23 (5)	अनिर्णीत	
36	पैरा–23 (6)	अनिर्णीत	
37	पैरा–23 (7)	अनिर्णीत	
38	पैरा–24 (1)	अनिर्णीत	
39	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत	
40	पैरा–24 (3)	अनिर्णीत	
41	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत	
42	पैरा–25 (2)	अनिर्णीत	
43	पैरा–26	अनिर्णीत	
44	पैरा–27	निर्णीत	(कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत)
45	पैरा–28	निर्णीत	(प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।)
46	पैरा–29	अनिर्णीत	
47	पैरा–30 (1)	अनिर्णीत	
48	पैरा–30 (2)	अनिर्णीत	
49	पैरा–30 (3)	अनिर्णीत	

50	पैरा—30 (4)	अनिर्णीत	
51	पैरा—31 (1)	अनिर्णीत	
52	पैरा—31 (2)	अनिर्णीत	
53	पैरा—32	अनिर्णीत	
54	पैरा—33	अनिर्णीत	
55	पैरा—34	अनिर्णीत	
56	पैरा—35	अनिर्णीत	
57	पैरा—36	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
58	पैरा—37	अनिर्णीत	
59	पैरा—38	अनिर्णीत	
60	पैरा—39	अनिर्णीत	
61	पैरा—40	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
62	पैरा—41	अनिर्णीत	
63	पैरा—42	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
64	पैरा—43	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति के साथ पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।)
65	पैरा—44	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/16 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	647
4/16 से 3/18 के दौरान लगाए गए पैर (+)	32
कुल	679
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे (—)	53
शेष	626